संख्या-5/2024/140/77-6-24-5(एम)/13टीसी(VolI-II)

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी, 2024**

विषयः औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की 19 वीं बैठक हेतु उपलब्ध कराये गये एजेण्डे के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने ईमेल दिनांक 27.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की 19वीं बैठक हेतु 18 मदों वाला एजेण्डा उपलब्ध कराया गया है। उक्त एजेण्डा नोट के साथ औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत नोडल एजेन्सी इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये 02 मदो वाला एजेण्डा नोट भी संलग्न किया गया।

2- उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराये गये एजेण्डे के संबंध में विचार-विमर्श हेतु दिनांक 27.09.2023 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक का कार्यवृत्त शासन के पत्र संख्या-3231/77-6-2023-6099/185/2022 पार्ट-1 दिनांक 06.10.2023 द्वारा निर्गत किया गया है।

3- नोडल संस्था (पिकप) द्वारा उपलब्ध कराये गये एजेण्डावार प्रस्ताव एवं उस पर इम्पावर्ड कमेटी द्वारा अवधारित मत/संस्तुति का विवरण निम्नवत है-

(1) एजेन्डा बिन्दु संख्या 2- मेसर्स बीकानेरवाला फूड्स प्रा0 लि0, जिला गौतमबुद्धनगर (गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र)

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

मेसर्स बीकानेरवाला फूड्स प्रा0लि0 द्वारा प्लाट संख्या 103-बी, सेक्टर-29, यमुना एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (यीडा), मुराद गढ़ी, जिला गौतमबुद्धनगर (गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र) में 72000 एम0टी0पी0ए0 क्षमता के साथ नमकीन उत्पादन हेतु रू0 351.00 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश के साथ मेगा श्रेणी की नई परियोजना की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना हेतु कम्पनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया है:-

तालिका-1

क्र0सं0	**आवेदित सुविधा**	**नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता**
1.	जमा की गई नेट एस0जी0 एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों हेतु अनुमन्य है। कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।
2.	10 प्रतिशत नेट एस.जी.एस.टी. की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कम से कम 25 प्रतिशत श्रमिकों के कार्यरत होने की दशा में, बशर्ते पश्चिमांचल क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों की न्यूनतम संख्या 400 हो और बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल क्षेत्र में न्यूनतम 200 या उससे अधिक श्रमिक हों)	नियमावली के प्रस्तर 3.4 के अनुसार निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पश्चिमांचल क्षेत्र में 400 या उससे अधिक श्रमिकों एवं बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल क्षेत्र में 200 या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की दशा में राज्य सरकार के खाते में जमा किये गये जी0एस0टी0 का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा के रूप में निम्न परिस्थितियों में अनुमन्य है:- 3.4.1 औद्योगिक उपक्रमों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कम से कम 25 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार देने पर। 3.4.2 औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत महिला श्रमिकों को रोजगार देने पर। 3.4.3 औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कम से कम 25 प्रतिशत एस0सी0/एस0टी0 श्रेणी के श्रमिकों को रोजगार देने पर।
3.	कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.3 के अनुसार सभी पात्र नई औद्योगिक उपक्रमों, जिनमें 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया हो, को उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) में श्रमिकों के पक्ष में जमा की गयी नियोक्ता योगदान की राशि की 50 प्रतिषत धनराशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात् अगले 5 वर्ष हेतु अनुमन्य है। अवगत कराया गया कि कम्पनी द्वारा 110 प्रस्तावित अकुशल श्रमिकों में से 77 श्रमिक ही पे-रोल पर प्रस्तावित है। **तदनुसार कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह नही है।**
3.1	अतिरिक्त 10 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.5.8 के अनुसार औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कम से कम 200 प्रत्यक्ष श्रमिकों (कुशल और अकुशल) को रोजगार उपलब्ध कराने पर नियोक्ता अंशदान पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत ई0पी0एफ0 की प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह नही है।**
4.	पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.1 के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक पूंजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 50 लाख से अधिक नही होगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
5.	अवस्थापना ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.2 के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		लिये गये ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू0 1 करोड़ से अधिक नही होगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
6.	पावर कम्पनियों से विद्युत क्रय पर विद्युत शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.5.4 के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष हेतु छूट अनुमन्य है। इस सम्बन्ध में उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.11.2022 के माध्यम से निम्नवत अवगत कराया गया हैः- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत दिनांक 13.7.2017 से 12.7.2022 तक उत्पादनरत इकाईयों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसकी प्रभावी अवधि दिनांक 13.7.2022 से आगामी तीन माह तक विस्तारित की गयी है। प्रश्नगत इकाई के पत्र 2.11.2022 के अनुसार इकाई द्वारा जून 2023 से वाणिज्यिक उत्पादन किया जाना सम्भावित है अतः यह इकाई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है। अतः इकाई को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दिया जाना उचित नहीं है। बैठक में चर्चा के दौरान ऊर्जा विभाग के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ऊर्जा विभाग द्वारा नीति-2017 के अन्तर्गत इसकी विस्तारित प्रभावी अवधि (13.07.2022 से अगले तीन माह अर्थात 12.10.2022) के दौरान स्थापित नवीन औद्योगिक इकाईयों को दस वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति द्वारा स्पष्ट किया गया कि नियमावली-2017 के अनुसार निवेश की पात्र अवधि परिभाषित की गयी है जिसके अनुसार प्रभावी अवधि के भीतर निवेश प्रारम्भ करने की तिथि से श्रेणी अनुसार इकाई को 3 वर्ष (लघु एवं मध्यम), 4 वर्ष (वृहद), 5 वर्ष (मेगा एवं मेगा प्लस) एवं 7 वर्ष (सुपर मेगा) में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा। उपरोक्त के दृष्टिगत गत एवं नियमावली-2017 के प्रस्तर 3.5.4 के अनुसार **इकाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष की छूट हेतु अर्ह है।** ऊर्जा विभाग को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।

गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र में मेगा श्रेणी हेतु रू0 200 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ से कम के पूँजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है। साथ ही औद्योगिक उपक्रम को देय वित्तीय सुविधाओं की सीमा नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमन्य पूँजी निवेश की सीमा से अधिक नही होगी।

कम्पनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना में निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 01.07.2019 चुनी गयी है एवं अर्ह स्थायी पूंजी निवेश रू0 263.30 करोड़ (सत्यापन के अधीन) कर परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 29.03.2023 को प्रारम्भ किये जाने की सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

पूँजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

तदनुसार उपलब्ध कराए गये अभिलेखों के आधार पर नोडल एजेन्सी द्वारा कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु तालिका 1 के क्रम संख्या 1, 4, 5 एवं 6 पर आवेदित सुविधाओं के सम्बन्ध में लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की निम्न शर्तों के अधीन विचार किये जाने की संस्तुति की गयी हैः-

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. कम्पनी द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1395/77-6-2020-5(एम)/ 2017टी.सी.-2 दिनांक 12.06.2020 (यथा-संशोधित शासनादेश संख्या 3955/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 एवं शासनादेश संख्या 1281/77-6-2021-5(एम)/2013 टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
3. लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो जाने के पश्चात परियोजना में निवेश हेतु कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन हेतु आवेदन केवल एक बार ही पर्याप्त कारणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।
4. पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।
5. सभी Distinct एवं ''Related person'' संव्यवहारों पर भुगतान किये गये नेट राज्य जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता का मूल्यांकन औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत/निर्गत किये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति

1. कमेटी द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रशासकीय विभाग की संस्तुतियों के आधार पर कम्पनी के पक्ष में तालिका-1 में क्रम संख्या 1, 4, 5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं 6 पर उल्लिखित सुविधाओं हेतु नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित सीमाओं के भीतर एवं शर्तों के अनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी एवं तद्नुसार अभिमत को समिति द्वारा मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

2. नीति-2017 के अनुसार प्रभावी अवधि के भीतर ही इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाना आवश्यक नहीं है, तद्नुसार ऊर्जा विभाग को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दिये जाने हेतु निर्गत आदेशों में आवश्यक संशोधन करने हेतु निर्देश दिये गये।

(2) एजेन्डा बिन्दु संख्या 3- मेसर्स एवेरी डैनिसन (इण्डिया) प्रा0लि0, जिला ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र)

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

मेसर्स एवेरी डैनिसन (इण्डिया) प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट संख्या 1, 2, सेक्टर-32, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र जिला ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र) में सेल्फ एडहेसिव पेपर एवं सेल्फ एडहेसिव फिल्म उत्पादन हेतु अर्ह पूँजी निवेश रू0 252.97 करोड़ से मेगा श्रेणी की नयी परियोजना (400 मेगा वाट का कैप्टिव सोलर पावर प्लांट सहित) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया हैः-

तालिका-2

क्र0सं0	**आवेदित सुविधा**	**नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता**
1.	जमा की गई नेट एस0जी0 एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों हेतु अनुमन्य है। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
2.	स्टाम्प शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.1 के अनुसार गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है। अवगत कराया गया कि कम्पनी द्वारा स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त कर ली गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.	प्लांट, निर्माण सामग्री एवं अन्य पूंजीगत माल इत्यादि अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.7 के अनुसार उद्योग/उपक्रम, जोकि जी.एस.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु अपात्र है, क्रय किये गये यंत्र एवं सयंत्र, निर्माण सामग्री एवं निर्माण और प्रचलन (कमीशनिंग) अवधि में क्रय किये अन्य पूंजीगत/कच्चे माल इत्यादि पर जमा किये गये जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे। सम्पूर्ण पात्र पूंजी निवेश की गणना के समय इस प्रकार की राशि पूंजी निवेश में सम्मिलित की जायेगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
4.	स्वयं उपभोग हेतु कैप्टिव पावर पर विद्युत शुल्क से छूट	नियमावतल के प्रस्तर 3.5.5 के अनुसार सभी नये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा स्वयं प्रयोग हेतु कैप्टिव पावर प्लांट उत्पादित विद्युत को 10 वर्ष हेतु इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट अनुमन्य है। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
5.	पावर कम्पनियों से विद्युत क्रय पर विद्युत शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर-3.5.4 के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 10 वर्ष हेतु छूट अनुमन्य है। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**

गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र में मेगा श्रेणी हेतु रू0 200 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ से कम के पूॅजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है। साथ ही औद्योगिक उपक्रम को देय वित्तीय सुविधाओं की सीमा नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमन्य पूॅजी निवेश की सीमा से अधिक नही होगी।

कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 02.08.2019 चुनी गयी है एवं अर्ह स्थायी पूंजी निवेश रू0 248.59 करोड़ (सत्यापन के अधीन) का निवेश कर परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 14.04.2022 को प्रारम्भ किये जाने की सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

तद्नुसार उपलब्ध कराए गये अभिलेखों के आधार पर नोडल एजेन्सी द्वारा कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु तालिका-2 के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 पर आवेदित सुविधाओं के सम्बन्ध में लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की निम्न शर्तों के अधीन विचार किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है-

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. कम्पनी द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1395/77-6-2020-5(एम)/2017 टी.सी.-2 दिनांक 12.06.2020 (यथा-संशोधित शासनादेश संख्या 3955/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 एवं शासनादेश संख्या 1281/77-6-2021-5(एम)/2013 टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
3. लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो जाने के पश्चात परियोजना में निवेश हेतु कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन हेतु आवेदन केवल एक बार ही पर्याप्त कारणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।
4. पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूॅजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूॅजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।
5. इकाई द्वारा कैप्टिव सोलर पावर प्लांट का इकाई के लिये ही उपभोग करने पर ही इसकी लागत के सापेक्ष सुविधाएं प्रदत्त की जायेंगी। यदि इकाई द्वारा विद्युत का विक्रय किया जायेगा तो ऐसी दशा में इसकी लागत अर्ह निवेश राशि से घटा दी जायेगी।
6. सभी Distinct एवं ''Related person'' संव्यवहारों पर भुगतान किये गये नेट राज्य जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता का मूल्यांकन औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत/निर्गत किये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति

कमेटी द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रशासकीय विभाग की संस्तुतियों के आधार पर कम्पनी के पक्ष में तालिका-2 में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 पर उल्लिखित सुविधाओं हेतु नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित सीमाओं के भीतर एवं शर्तों के अनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी एवं तदनुसार अभिमत को समिति द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

(3) एजेण्डा बिन्दु संख्या-4- मेसर्स राजश्री फाईन केमिकल इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा0लि0, जिला शाहजहॉपुर (पश्चिमांचल क्षेत्र)

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

मेसर्स राजश्री फाईन केमिकल इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम शालपुर नवदिया कटरा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहॉपुर (पश्चिमांचल) में इथेनॉल उत्पादन हेतु 160 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के साथ (80 किलोलीटर मोलैसेस आधारित एवं 80 किलोलीटर ग्रेन्स आधारित) डिस्टिलरी इकाई के साथ 4.5 मेगावाट क्षमता का कोजनरेशन पावर प्लांट रू0 340.90 करोड़ रूपये के पूॅजी निवेश (अर्ह पूॅजी निवेश रू0 268.08 करोड़) से मेगा श्रेणी में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया हैः-

तालिका-3

क्र0सं0	**आवेदित सुविधा**	**नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता**
1.	जमा की गई नेट एस0जी0 एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों हेतु अनुमन्य है। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
2.	स्टाम्प शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.1 के अनुसार पश्चिमांचल क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कम्पनी द्वारा स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर भूमि का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। **तदनुसार यह सुविधा अनुमन्य नहीं है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.	कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.3 के अनुसार सभी पात्र नई औद्योगिक उपक्रमों, जिनमें 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया हो, को उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) में श्रमिकों के पक्ष में जमा की गयी नियोक्ता योगदान की राशि की 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात अगले 5 वर्ष हेतु अनुमन्य है। **चूंकि इकाई द्वारा अकुशल श्रमिकों को पे-रोल पर रोजगार दिया जाना प्रस्तावित नहीं है, इकाई इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं है।**

पश्चिमांचल में मेगा श्रेणी हेतु रू0 150 करोड़ से अधिक किन्तु 300 करोड़ से कम के पूँजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है। साथ ही औद्योगिक उपक्रम को देय वित्तीय सुविधाओं की सीमा नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमन्य पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा से अधिक नही होगी।

कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 10.07.2019 चुनी गयी है एवं अर्ह स्थायी पूँजी निवेश रू0 268.08 करोड़ के सापेक्ष रू0 250.92 करोड़ (सत्यापन के अधीन) का निवेश कर परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 12.12.2022 को प्रारम्भ किये जाने की सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

पूँजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियॉ दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूँजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूँजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

प्रकरण में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग एवं आबकारी विभाग द्वारा नीति-2017 के अन्तर्गत सुविधाओं पर विचार किये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी है।

तद्नुसार उपलब्ध कराए गये अभिलेखों के आधार पर नोडल एजेन्सी द्वारा कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु तालिका-3 के क्रम संख्या-1 पर आवेदित सुविधा के सम्बन्ध में लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की निम्न शर्तों के अधीन विचार किये जाने का प्रस्ताव किया गया है-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. कम्पनी द्वारा व्यवसाय के प्रमुख स्थान के रूप में इकाई स्थल के अवस्थान (ग्राम शालपुर नवदिया कटरा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहॉपुर) को दर्शाते हुए जी.एस.टी.आई.एन में संशोधन करना होगा।
3. कम्पनी द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1395/77-6-2020-5(एम)/ 2017 टी.सी.-2 दिनांक 12.06.2020 (यथा-संशोधित शासनादेश संख्या 3955/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 एवं शासनादेश संख्या 1281/77-6-2021-5(एम)/2013 टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
4. लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो जाने के पश्चात परियोजना में निवेश हेतु कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन हेतु आवेदन केवल एक बार ही पर्याप्त कारणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।
5. पूॅजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियॉ दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूॅजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूॅजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।
6. इकाई द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट का इकाई के लिये ही उपभोग करने पर ही इसकी लागत के सापेक्ष सुविधाएं प्रदत्त की जायेंगी। यदि इकाई द्वारा विद्युत का विक्रय किया जायेगा तो ऐसी दशा में इसकी लागत अर्ह निवेश राशि से घटा दी जायेगी।
7. सभी Distinct एवं ''Related person'' संव्यवहारों पर भुगतान किये गये नेट राज्य जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता का मूल्यांकन औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत/निर्गत किये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति

कमेटी द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रशासकीय विभाग की संस्तुतियों के आधार पर कम्पनी के पक्ष में तालिका-3 में क्रम संख्या-1 पर उल्लिखित सुविधा हेतु नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित सीमाओं के भीतर एवं शर्तों के अनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी एवं तदनुसार अभिमत को समिति द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) एजेण्डा बिन्दु संख्या-5- मेसर्स स्पर्श इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, जिला कानपुर देहात (मध्यांचल क्षेत्र)

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

मेसर्स स्पर्श इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा गाटा संख्या 389, 695 एवं 700 से 706, ग्राम कुम्भी, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात (मध्यांचल क्षेत्र) में बोपेट (पोलियेस्टर) फिल्मस एवं पेट रेसिन (चिप्स) इकाई की स्थापना रू0 533.99 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश (अर्ह पूँजी निवेश रू0 509.84 करोड़) से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त इकाई में प्रस्तावित उत्पाद एवं उनकी क्षमता निम्नवत हैः-

बोपेट (पोलियेस्टर) फिल्मस - 48,820 एम0टी0पी0ए0

पेट रेसिन (चिप्स) - 99,000 एम0टी0पी0ए0

उक्त परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया हैः-

तालिका-4

क्र0सं0	**आवेदित सुविधा**	**नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता**
1.	जमा की गई नेट एस0जी0 एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों हेतु अनुमन्य है। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
2.	पूँजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.1 के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 50 लाख से अधिक नही होगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
3.	अवस्थापना ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.2 के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू.1.00 करोड़ से अधिक नहीं होगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
4.	पावर कम्पनियों से विद्युत क्रय पर विद्युत शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर-3.5.4 के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 10 वर्ष हेतु छूट अनुमन्य है। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**

मध्यांचल में मेगा प्लस श्रेणी हेतु रू0 300 करोड़ से अधिक किन्तु 750 करोड़ से कम के पूँजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है। साथ ही औद्योगिक उपक्रम को देय वित्तीय सुविधाओं की सीमा नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमन्य पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा से अधिक नही होगी।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी द्वारा एक चरण में परियोजना की स्थापना किया जाना प्रस्तावित था किन्तु बोपेट फिल्म एवं चिप्स प्लांट का वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः दिनांक 01.10.2021 एवं 01.07.2022 को प्रारम्भ किया जाना दर्शाया गया था। यद्यपि परियोजना रिपोर्ट में चरणबद्ध विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। तद्नुसार कम्पनी से पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट चरणबद्ध विवरण के साथ उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

कम्पनी द्वारा परियोजना रिपोर्ट पुनरीक्षित करने में असमर्थता जताई गयी। यद्यपि उनके द्वारा परियोजना लागत का चरणबद्ध विवरण निम्नवत उपलब्ध करवाया गया थाः-

प्रथम चरण - रू0 304.14 करोड़
द्वितीय चरण - रू0 134.01 करोड़
कुल - रू0 438.15 करोड़

कम्पनी द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.6.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि उपरोक्त प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रस्तावित निवेश के सापेक्ष निम्नवत निवेश कर लिया गया हैः-

(Rs. in crores)

Particulars	Phase I (BOPET Line)	Phase II (Chips Plant)	Total
Capital expenditure incurred (date of	371.00	85.00	456.00

http://shasanadesh.up.gov.in

commencement of product line)	(06.07.2022)	(29.05.2023)	
Capital expenditure likely to be incurred further	0.00	53.84	53.84
Sub-Total	**371.00**	**138.84**	**509.84***
Add: Margin Money for Working Capital	16.71	7.44	24.15
Total	**387.71**	**146.28**	**533.99***

* कम्पनी द्वारा ई.मेल दिनांक 23.9.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया कि परियोजना में प्रोविजनल निवेश रू0 516.15 करोड़ का हो गया है जिसमें से अर्ह पूॅजी निवेश रू0 492.00 करोड़ (सत्यापन के अधीन) है।

परियोजना लागत में वृद्धि मुख्य रूप से सीमेंट, स्टील आदि की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि और मुद्रा में मूल्यह्रास (प्रमुख संयंत्र और मशीनरी आयात किये जाने के कारण) के कारण हुई है।

कम्पनी द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.04.2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि चूॅकि उनकी परियोजना चिप्स प्लांट (द्वितीय चरण) के साथ मई, 2023 में पूर्ण होगी, परियोजना के प्रारम्भ होने की तिथि मई, 2023 पर विचार करते हुए लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किया जाए एवं पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट की मॉग न की जाए।

कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 04.04.2019 चुनी गयी है एवं परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 06.07.2022 एवं 29.05.2023 क्रमश: प्रारम्भ कर लिया गया है।

"स्वीकार्यता की तिथि" का तात्पर्य औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत सुविधाओं के आहरण के प्रयोजनार्थ उस तिथि से है जिस पर औद्योगिक उपक्रम द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार पात्र पूॅजी निवेश की थ्रेशोल्ड सीमा प्राप्त कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रस्तावित पूॅजी निवेश को चरणबद्ध रूप से किया जाता है, वहॉ ऐसे औद्योगिक उपक्रम द्वारा किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो एवं सुविधाओं हेतु आवेदन करने से पूर्व स्वीकार्यता की तिथि पर पहुॅच गया हो। स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऐसे औद्योगिक उपक्रम, जोकि प्रभावी तिथि के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करते हैं, सुविधाओं हेतु पात्र होंगे।

नोडल संस्था द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा परियोजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन की तिथि 06.07.2022 के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि इकाई मेगा प्लस श्रेणी के अनुसार मध्यांचल क्षेत्र में आवश्यक पूॅजी निवेश (रू0 300 करोड़ अथवा उससे अधिक) कर प्रथम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि 06.07.2022 से सुविधाओं हेतु पात्र हो रही है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार उपरान्त एवं कम्पनी के अनुरोध के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि इकाई को देय सुविधाओं की अनुमन्यता हेतु द्वितीय चरण के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्पादन की तिथि मानी जानी चाहिए चूँकि कम्पनी द्वारा द्वितीय (अन्तिम) चरण में तैयार किये जाने वाला उत्पाद प्रथम चरण के उत्पाद का इनपुट मैटीरियल है।

पूँजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियॉ दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूँजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूँजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

तद्नुसार उपलब्ध कराए गये अभिलेखों के आधार पर नोडल एजेन्सी द्वारा कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु तालिका-4 के क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर आवेदित सुविधाओं के सम्बन्ध में लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की निम्न शर्तों के अधीन विचार किये जाने का प्रस्ताव किया गया हैः-

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. चूँकि कम्पनी द्वारा परियोजना को पट्टे पर ली गयी भूमि पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, शासनादेश सं0 33/77-6-2022-6(एम)/2018टी.सी.-4 दिनांक 7.1.2022 द्वारा कम्पनी के अन्य प्रकरण में अनुमोदित बॉण्ड इस इकाई हेतु भी कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
3. आई.ई.एम. में दर्शाये गये परियोजना स्थल के पते के अनुसार जी.एस.टी.आई.एन. में आवश्यक संशोधन करना होगा।
4. कम्पनी द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1395/77-6-2020-5(एम)/ 2017टी.सी.-2 दिनांक 12.06.2020 (यथा-संशोधित शासनादेश संख्या 3955/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 एवं शासनादेश संख्या 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
5. पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियॉ दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूँजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।
6. लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो जाने के पश्चात परियोजना में निवेश हेतु कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन हेतु आवेदन केवल एक बार ही पर्याप्त कारणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. इकाई को देय सुविधाएं द्वितीय चरण के उत्पादन की तिथि से उपलब्ध करायी जायेंगी।
8. कम्पनी द्वारा पेट रेसिन (चिप्स) का ओपेन मार्केट विक्रय किया जाना भी प्रस्तावित है। ऐसे विक्रय किये जाने वाले उत्पाद के सम्बन्ध में भी एस0ओ0पी0 शासनादेश दिनांक 12.6.2020 के प्रावधान लागू होंगे जिनमें अन्य के अलावा शपथ पत्र लिए जाने की व्यवस्था है।
9. सभी Distinct एवं ''Related person'' संव्यवहारों पर भुगतान किये गये नेट राज्य जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता का मूल्यांकन औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत/निर्गत किये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति

कमेटी द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रशासकीय विभाग की संस्तुतियों के आधार पर कम्पनी के पक्ष में तालिका-4 में क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर उल्लिखित सुविधाओं हेतु नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित सीमाओं के भीतर एवं शर्तों के अनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी एवं तद्नुसार अभिमत को समिति द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

(5) एजेण्डा बिन्दु संख्या-6-मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, जिला सोनभद्र (पूर्वांचल क्षेत्र)

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा डाला (ग्राम कोटा) राबर्टस गंज, जिला सोनभद्र (पूर्वांचल) में सीमेंट ग्राइंडिंग/क्लिंकर की पूर्व स्थापित परियोजना का विस्तारीकरण रू0 528.26 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश (अर्ह पूँजी निवेश रू0 473.05 करोड़) से दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त इकाई में वर्तमान/ प्रस्तावित उत्पाद एवं उनकी क्षमता निम्नवत हैः-

उत्पाद	**क्षमता (एम.एम.टी.पी.ए.)**			
	पूर्व स्थापित	**प्रस्तावित क्षमता**		**कुल**
		प्रथम चरण	**द्वितीय चरण**	
सीमेन्ट	0.50	1.50	-	2.00
क्लिंकर (clinker)	2.00	-	0.20	2.20
कैप्टिव पावर	27 मेगावाट	-	3 मेगावाट	30 मेगावाट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम	-	13 मेगावाट	-	13 मेगावाट

पूर्व प्रस्ताव

कम्पनी द्वारा पूर्व में उक्त प्रस्ताव रू0 475.00 करोड़ पूँजी निवेश के साथ उपलब्ध करवाया गया था जिसमें संशोधन एवं उन्नयन (modification and upgradation) के रूप में रू0 130 करोड़ का निवेश किया जाना दर्शाया गया था जोकि नोडल संस्था के विश्लेषण के अनुसार पूर्व स्थापित संयंत्रों का अंश होने के कारण अर्ह पूँजी निवेश के रूप में मान्य नहीं पाया गया था।

अतः उक्त प्रस्ताव इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 28.04.2022 को सम्पन्न बैठक में निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा मत स्थिर किया गया था कि कम्पनी द्वारा नोडल एजेन्सी से सम्पर्क कर प्रकरण के संबंध में तथ्यों को स्पष्ट करें एवं नोडल एजेन्सी पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार प्रस्ताव आस्थगित किया गया।

वर्तमान प्रस्ताव

कम्पनी द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.07.2022 के माध्यम से परियोजना लागत को पुनरीक्षित कर अर्ह पूँजी निवेश रू0 473.05 करोड़ के साथ पुनः प्रस्ताव उपलब्ध करवाया गया है। परियोजना लागत में वृद्धि का कारण स्टील, सीमेंट आदि की लागत में वृद्धि होना तथा मशीनों में नये निवेश का होना बताया गया है।

नोडल संस्था के तकनीकी अधिकारी के द्वारा प्लांट विजिट एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त नोडल एजेन्सी द्वारा यह मत स्थिर किया गया है कि संशोधन एवं उन्नयन (modification and upgradation) के रूप में रू0 130 करोड़ के प्रस्तावित निवेश (जो कि द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है) में से रू0 74.79 करोड़ के निवेश को नया माना जा सकता है एवं रू0 55.21 करोड़ संशोधन एवं उन्नयन (modification and upgradation) के रूप में माना जा सकता है जो कि अर्ह पूँजी निवेश नही होगा।

कम्पनी द्वारा दिनांक 31.10.2020 (निवेश प्रारम्भ करने की तिथि 01.11.2020 के पूर्व की तिथि) को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित ग्रॉस ब्लॉक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.10.2020 को ग्रॉस ब्लॉक रू0 1519.62 करोड़ दर्शाया गया है। प्रस्तावित अर्ह पूँजी निवेश से रू0 55.21 करोड़ घटाने के पश्चात अर्ह पूंजी निवेश रू0 473.05 करोड़ होता है जोकि ग्रास ब्लॉक का 31.13 प्रतिशत है। इस प्रकार यह विस्तारीकरण/विविधीकरण हेतु ग्रॉस ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की शर्त को पूर्ण करता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया हैः-

<u>तालिका-5</u>

क्र0सं0	**आवेदित सुविधा**	**नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता**
1	जमा की गई नेट एस0जी0 एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों हेतु अनुमन्य है। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
2	पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.1 के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक पूॅजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 50 लाख से अधिक नही होगी। चूंकि कम्पनी द्वारा कोई सावधिक ऋण लिया जाना प्रस्तावित नही है अतः कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह नही है।
3	अवस्थापना ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.2 के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू0 1 करोड़ से अधिक नही होगी। **चूंकि कम्पनी द्वारा कोई सावधिक ऋण लिया जाना प्रस्तावित नही है अतः कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह नही है।**
4	पावर कम्पनियों से विद्युत	नियमावली के प्रस्तर 3.5.4 के अनुसार राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	क्रय पर विद्युत शुल्क से छूट	में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 10 वर्ष हेतु छूट अनुमन्य है। चूंकि कम्पनी द्वारा परियोजना का विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अत: कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं है।
5	स्वयं उपभोग हेतु कैप्टिव पावर पर विद्युत शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.5.5 के अनुसार सभी नये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा स्वयं प्रयोग हेतु कैप्टिव पावर प्लाण्ट उत्पादित विद्युत को 10 वर्ष हेतु इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट अनुमन्य है। चूंकि कम्पनी द्वारा परियोजना का विस्तारी करण किया जाना प्रस्तावित है। अत: कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं है।

पूर्वांचल में मेगा प्लस श्रेणी हेतु रू0 250 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ से कम के पूँजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है। साथ ही औद्योगिक उपक्रम को देय वित्तीय सुविधाओं की सीमा नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमन्य पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा से अधिक नही होगी।

कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 01.11.2020 चुनी गयी है एवं परियोजना के प्रथम चरण (सीमेन्ट) का वाणिज्यिक उत्पादन 14.08.2022 को प्रारम्भ कर लिया गया है एवं द्वितीय चरण (क्लिंकर) का वाणिज्यिक उत्पादन अक्टूबर 2023 में किया जाना प्रस्तावित है। कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र दिनांक 21.03.2023 के अनुसार परियोजना में रू0 417.75 करोड़ का निवेश कर लिया गया है।

तदनुसार उपलब्ध कराए गये अभिलेखों के आधार पर नोडल एजेन्सी द्वारा कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु तालिका-5 के क्रम संख्या-1 पर आवेदित सुविधा के सम्बन्ध में लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की निम्न शर्तों के अधीन विचार किये जाने का प्रस्ताव किया गया है:-

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. कम्पनी द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1395/77-6-2020-5(एम)/ 2017 टी.सी.-2 दिनांक 12.06.2020 (यथा-संशोधित शासनादेश संख्या 3955/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

3. पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।
4. लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो जाने के पश्चात परियोजना में निवेश हेतु कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन हेतु आवेदन केवल एक बार ही पर्याप्त कारणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।
5. पूँजी निवेश में रिपोर्ट की गयी वृद्धि नोडल एजेन्सी द्वारा पूंजी निवेश के सत्यापन के समय उचित मूल्यांकन के अधीन है।
6. सभी Distinct एवं ''Related person'' संव्यवहारों पर भुगतान किये गये नेट राज्य जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता का मूल्यांकन औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत/निर्गत किये जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति

कमेटी द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रशासकीय विभाग की संस्तुतियों के आधार पर कम्पनी के पक्ष में तालिका-5 में क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित सुविधा हेतु नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित सीमाओं के भीतर एवं शर्तों के अनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी एवं तद्नुसार अभिमत को समिति द्वारा मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

(6) एजेण्डा बिन्दु संख्या-7- मेसर्स अपोलो मेटैलिक्स लि0, जिला बुलन्दशहर (पश्चिमांचल क्षेत्र)

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

मेसर्स अपोलो मैटेलिक्स प्रा0 लि0 द्वारा जिला बुलन्दशहर (पश्चिमांचल क्षेत्र) में सी.आर.एफ.एच. क्वायल एवं जी.पी./सी.आर./ब्लैक पाइप्स के निर्माण हेतु रू0 213.92 करोड़ पूंजी निवेश (अर्ह पूँजी निवेश रू0 160.04 करोड़) के माध्यम से एक नयी परियोजना को दो चरणों में स्थापित किये जाने हेतु औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत कतिपय सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया था जोकि इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 17.8.2021 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया था। उक्त बैठक में निम्नवत निर्णय लिया गयाः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अ) नियमावली के उक्त वर्णित प्रावधानों के अध्ययन के पश्चात यह मत स्थिर किया गया कि आवेदक इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन "मेगा" औद्योगिक उपक्रम की श्रेणी में सुविधाएं प्राप्त करने हेतु अर्हता के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करता है।

ब) उपरोक्त के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि आवेदक का प्रस्ताव मेगा श्रेणी में अर्ह नहीं है। तद्नुसार आवेदक का प्रस्ताव जिस श्रेणी से आच्छादित हो उससे सम्बन्धित स्वीकृति समिति के समक्ष उन्हें प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

कम्पनी द्वारा उनके प्रस्ताव को मेगा श्रेणी के अन्तर्गत विचार करने हेतु प्रत्यावेदन दिनांक 9.5.2022 को शासन में प्रस्तुत किया गया था जिस पर नोडल एजेन्सी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

कम्पनी द्वारा नोडल एजेन्सी को विभिन्न अभिलेख उपलब्ध करवाये गये जिनका परीक्षण कर नोडल एजेन्सी की आख्या के साथ प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया गया था। प्रशासकीय विभाग द्वारा इम्पावर्ड कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रशासकीय विभाग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एवं इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त निम्न तथ्य सामने आए हैं-

1. इकाई द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित (अब पूरी तरह से क्रियान्वित) परियोजना हेतु प्रारम्भ में ही दोनों चरणों हेतु 41990 वर्ग मी0 भूमि की खरीद कर निवेश का प्रारम्भ दिनांक 15.06.2018 को किया गया। भूमि का यह क्षेत्रफल दो चरण परियोजना हेतु अनिवार्य है।
2. प्लांट का ले-आउट दर्शाता है कि दो चरण परियोजना एकीकृत है।
3. विद्युत लोड दोनों चरणों हेतु दिनांक 28.11.2018 को (5000 के0वी0ए0) प्रारम्भ में एक ही समय पर प्राप्त किया गया।
4. प्रदूषण बोर्ड का एन0ओ0सी0 दोनों चरणों हेतु एक साथ दिनांक 22.10.2018 को प्राप्त हुआ।
5. दोनों चरणों के उत्पाद हेतु प्लांट एवं संयत्रों हेतु क्रय आर्डर वर्ष 2018 में ही दे दिये गये थे।

तदनुसार नोडल संस्था द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा मत व्यक्त किया गया कि कम्पनी द्वारा दो चरणों में दर्शायी गयी परियोजना को एक समेकित (Integrated Project) परियोजना के रूप में आवेदक द्वारा क्रियान्वित किये जाने की पुष्टि हो रही है। तदनुसार आवेदक की परियोजना को मेगा श्रेणी में अर्ह माने जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया हैः-

तालिका-6

क्र0सं0	**आवेदित सुविधा**	**नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता**
1.	जमा की गई नेट एस0जी0 एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों हेतु अनुमन्य है। कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।
2.	कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.3 के अनुसार सभी पात्र नई औद्योगिक उपक्रमों, जिनमें 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया हो, को उनके द्वारा कर्मचारी भविश्य निधि (ई0पी0एफ0) में श्रमिकों के पक्ष में जमा की गयी नियोक्ता योगदान की राशि की 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात् अगले 5 वर्ष हेतु अनुमन्य है। अवगत कराया गया कि कम्पनी द्वारा 331 प्रस्तावित श्रमिकों में से 204 अकुशल श्रमिक पे-रोल पर प्रस्तावित है। **तदनुसार कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
3.	पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.1 के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सार्वधिक ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक पूंजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम वार्षिक सीमा रू. 50 लाख से अधिक नहीं होगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.	अवस्थापना ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.2 के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू. 1.00 करोड़ से अधिक नहीं होगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**

पश्चिमांचल में मेगा श्रेणी हेतु रू0 150 करोड़ से अधिक किन्तु 300 करोड़ से कम के पूॅजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है। साथ ही औद्योगिक उपक्रम को देय वित्तीय सुविधाओं की सीमा नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमन्य पूॅजी निवेश की अधिकतम सीमा से अधिक नही होगी।

कम्पनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना में निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 15.6.2018 चुनी गयी है एवं अर्ह स्थायी पूंजी निवेश रू0 160.04 करोड़ (सत्यापन के अधीन) कर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 7.5.2019 एवं 20.3.2020 क्रमश: प्रारम्भ किये जाने की सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

तद्नुसार उपलब्ध कराए गये अभिलेखों के आधार पर नोडल एजेन्सी द्वारा कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु तालिका-6 के क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 4 (एजेण्डा में सुविधाओं सम्बन्धी तालिका में त्रुटिवश क्रम संख्या 1, 2, 4 एवं 5 एवं नोडल एजेन्सी की टिप्पणी के अन्त में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 इंगित हो गया है) पर आवेदित सुविधाओं के सम्बन्ध में लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की निम्न शर्तों के अधीन विचार किये जाने का प्रस्ताव किया गया हैः-

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. कम्पनी द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1395/77-6-2020-5(एम)/ 2017 टी.सी.-2 दिनांक 12.06.2020 (यथा-संशोधित शासनादेश संख्या 3955/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 एवं शासनादेश संख्या 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
3. पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तिया दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।
4. लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो जाने के पश्चात परियोजना में निवेश हेतु कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन हेतु आवेदन केवल एक बार ही पर्याप्त कारणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।
5. कम्पनी द्वारा सी.आर. क्वायल एवं एच0आर0 क्वायल का ओपेन मार्केट विक्रय किया जाना भी प्रस्तावित है। ऐसे विक्रय किये जाने वाले उत्पाद के सम्बन्ध में भी एस0ओ0पी0 शासनादेश दिनांक 12.6.2020 के प्रावधान लागू होंगे जिनमें अन्य के अलावा शपथ पत्र लिए जाने की व्यवस्था है।
6. सभी Distinct एवं "Related person" संव्यवहारों पर भुगतान किये गये नेट राज्य जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता का मूल्यांकन औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत/निर्गत किये जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति

कमेटी द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रशासकीय विभाग की संस्तुतियों के आधार पर कम्पनी के पक्ष में तालिका-6 में क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर उल्लिखित सुविधाओं हेतु नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित सीमाओं के भीतर एवं शर्तों के अनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी एवं तदनुसार अभिमत को समिति द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

(7) एजेण्डा बिन्दु संख्या-8- मेसर्स मून बेवरेजेज लि0, जिला हापुड़ (पश्चिमांचल क्षेत्र)

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

शासनादेश संख्या-35/77-6-2022-6 (एम)/2018 टी.सी.-4 दिनांक 7.1.2022 के अनुपालन में मेसर्स मून बेवरेजेज लि0 को जिला हापुड़ (पश्चिमांचल क्षेत्र) में पूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्थापित इकाई कारबोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ड्रिन्किंग वाटर एवं सोलर पावर प्लांट के विस्तारीकरण/विविधीकरण हेतु रू0 197.42 करोड़ पूंजी निवेश (अर्ह पूँजी निवेश रू0 169.49 करोड़) के माध्यम से एक नयी परियोजना की स्थापना हेतु औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दिनांक 7.1.2022 को निर्गत किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं (जमा की गयी नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति एवं पूँजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति) अनुमोदित की गयी थी। विस्तारीकरण/विविधीकरण के पश्चात कम्पनी के उत्पादों की क्षमता निम्नवत प्रस्तावित हैः-

Products	**Capacity (MT Per Month)**		
	Existing	**Proposed**	**Total**
Carbonated Soft Drinks	68,600	46,200	1,14,800
Drinking Water	-	20,900	20,900
Fruit Juices	27,358	-	27,358
Synthetic Flavoured Syrups	558	-	558
Solar Power Plant	-	4 MW	4 MW

कम्पनी द्वारा परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन 31.1.2022 को किया जाना प्रस्तावित था।

कम्पनी द्वारा अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया कि कोविड के कारण उनका सिविल वर्क एवं स्थानीय संयंत्रों की आपूर्ति प्रभावित हुई है एवं निम्नवत निवेदन किया गया हैः-

1. उनकी परियोजना को एक चरण के स्थान पर दो चरणों में स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाए।
2. संशोधित लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किया जाए।
3. संशोधित लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की तिथि से अप्रैजल नोट प्रस्तुत करने हेतु 3 महीने का समय प्रदान किया जाए।

कम्पनी द्वारा पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार चरणबद्ध ढंग से किये जाने वाले निवेश का विवरण निम्नवत हैः-

Phase-wise Product & Capacity

Products	**Capacity (in MTs per month)**			
	Existing	**Proposed**		**Total**
		Phase I	**Phase II**	
Carbonated Soft Drinks	68,600	46,200	0	1,14,800
Drinking Water	0	0	20,900	20,900

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Fruit Juices	27,358	0	0	27,358
Synthetic Flavoured Syrups	558	0	0	558
Captive Solar Power Plant	0	4 MW	0	4 MW

Cost of Project

(Rs. in crores)

Particulars	As per approved proposal	Revised Proposal		
		Phase I	Phase II	Total
Land	0.00	0.00	0.00	0.00
Building & Civil Construction	8.25	6.04	2.21	8.25
Plant & Machinery and MFA	147.84	101.12	46.72	147.84
Solar Power Plant of 4 MW	13.40	13.40	0.00	13.40
Sub Total (A)	**169.49**	**120.56**	**48.93**	**169.49***
Interest During Construction Period	2.93	1.75	1.18	2.93
Working Capital Requirement	25.00	15.00	10.00	25.00
Sub Total (B)	**27.93**	**16.75**	**11.18**	**27.93**
Total	**197.42**	**137.71**	**60.11**	**197.42**

कम्पनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना में निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 19.4.2021 चुनी गयी है एवं पुनरीक्षित अर्ह स्थायी पूंजी निवेश रू0 169.49 करोड़ के सापेक्ष रू0 178.80 करोड़ का निवेश (सत्यापन के अधीन) कर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 30.4.2022 एवं 6.12.2022 क्रमशः प्रारम्भ किये जाने की सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

कम्पनी द्वारा किसी अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं की गयी है। अतः पूर्व में निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट द्वारा कम्पनी को अनुमोदित सुविधाएं यथावत रहेंगी।

तदनुसार पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट एवं समेकित (Integrated Project) परियोजना के समर्थन में उपलब्ध कराए गये अभिलेखों के आधार पर नोडल एजेन्सी द्वारा कम्पनी के आवेदन पर विचार किये जाने की निम्नवत संस्तुति की गयी हैः-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. उनकी परियोजना को एक चरण के स्थान पर दो चरणों में स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाए।
2. संशोधित लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किया जाए।
3. संशोधित लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की तिथि से अप्रैजल नोट प्रस्तुत करने हेतु 3 महीने का समय प्रदान किया जाए।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति

कमेटी द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रशासकीय विभाग की संस्तुतियों के आधार पर कम्पनी के पक्ष में नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित सीमाओं के भीतर एवं शर्तों के अनुसार संशोधित लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी एवं तद्नुसार अभिमत को समिति द्वारा मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

(8) एजेन्डा बिन्दु संख्या 9- मेसर्स बृन्दावन एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, जिला मथुरा (पश्चिमांचल क्षेत्र)

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

मेसर्स बृन्दावन एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा जिला मथुरा (पश्चिमांचल क्षेत्र) में पूर्व स्थापित कारबोनेटेड सॉफ्ट ड्रिक्स एवं वाटर इकाई के विस्तारीकरण/ विविधीकरण हेतु रू0 318.90 करोड़ पूँजी निवेश (अर्ह पूँजी निवेश रू0 265.20 करोड़) के माध्यम से एक परियोजना स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विस्तारीकरण/विविधीकरण के पष्चात इकाई की उत्पादन क्षमता निम्नवत होगीः-

Sl. No.	Products	Capacity (in no. of Crates per annum)				
		Existing	Proposed			Grand Total
			Phase I	Phase II	Total	
1.	Aerated Water (CSD Pet Line)	2,26,90,000	1,20,00,000	-	1,20,00,000	3,46,90,000
2.	Water	27,50,000	-	-	-	27,50,000
2.	Fruit or Vegetable Juices (Tetra Pack Line)	-	36,00,000	-	36,00,000	36,00,000
3.	Fruit or Vegetable Juices (Juice Hot Fill)	-	-	90,00,000	90,00,000	90,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया हैः-

तालिका-7

क्र0सं0	**आवेदित सुविधा**	**नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता**
1.	जमा की गई नेट एस0जी0एस0 टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0 टी0 की 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों हेतु अनुमन्य है। कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।
2.	कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.3 के अनुसार सभी पात्र नये औद्योगिक उपक्रमों, जिनमें 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया हो, को उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) में श्रमिकों के पक्ष में जमा की गयी नियोक्ता योगदान की राशि की 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात अगले 5 वर्श हेतु अनुमन्य है। चूँकि कम्पनी द्वारा परियोजना में विस्तारीकरण/विविधीकरण किया जाना प्रस्तावित है, **अतः कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह नही है।**
3.	पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर-3.5.1 के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक पूंजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा कि अधिकतम वार्षिक सीमा रू. 50.00 लाख से अधिक नहीं होगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.	अवस्थापना ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.2 के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू0 1 करोड़ से अधिक नही होगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**
5.	औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिए ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.3 के औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिए औद्योगिक संगठनों, औद्योगिक इकाइयों के समूह द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लांट, मशीनरी एवं इक्यूपमेण्ट्स पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक ब्याज प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू0 1 करोड़ से अधिक नही होगी। चूंकि केवल औद्योगिक संगठन एवं औद्योगिक इकाइयों के समूह इस सुविधा हेतु अर्ह हैं, अतः **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं है।**
6.	प्लांट, निर्माण सामग्री एवं अन्य पूंजीगत माल इत्यादि अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.7 के अनुसार उद्योग/ उपक्रम, जोकि जी.एस.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु अपात्र है, क्रय किये गये यंत्र एवं सयंत्र, निर्माण सामग्री एवं निर्माण और प्रचलन (कमीशनिंग) अवधि में क्रय किये अन्य पूंजीगत/कच्चे माल इत्यादि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		पर जमा किये गये जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे। सम्पूर्ण पात्र पूंजी निवेश की गणना के समय इस प्रकार की राशि पूंजी निवेश में सम्मिलित की जायेगी। **कम्पनी इस सुविधा हेतु अर्ह है।**

पश्चिमांचल क्षेत्र में मेगा श्रेणी हेतु रू0 150 करोड़ से अधिक किन्तु 300 करोड़ से कम के पूँजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है। साथ ही औद्योगिक उपक्रम को देय वित्तीय सुविधाओं की सीमा नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमन्य पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा से अधिक नही होगी।

कम्पनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना में निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 1.4.2022 चुनी गयी है एवं परियोजना के प्रथम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 1.4.2023 को प्रारम्भ कर लिया गया है एवं द्वितीय चरण का वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी, 2024 में किया जाना प्रस्तावित है। उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार कम्पनी द्वारा परियोजना में अर्ह पूँजी निवेश के अन्तर्गत रू0 174.31 करोड़ का निवेश कर लिया गया है।

पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

तदनुसार उपलब्ध कराए गये अभिलेखों के आधार पर नोडल एजेन्सी द्वारा कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु तालिका 7 के क्रम संख्या 1, 3, 4 एवं 6 पर आवेदित सुविधाओं के सम्बन्ध में लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की निम्न शर्तों के अधीन विचार किये जाने का प्रस्ताव किया गया हैः-

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. कम्पनी द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1395/77-6-2020-5(एम)/ 2017 टी.सी.-2 दिनांक 12.06.2020 (यथा-संशोधित शासनादेश संख्या 3955/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 एवं शासनादेश संख्या 1281/77-6-2021-5(एम)/2013 टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो जाने के पश्चात परियोजना में निवेश हेतु कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन हेतु आवेदन केवल एक बार ही पर्याप्त कारणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।
4. पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियॉ दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।
5. चूँकि कम्पनी द्वारा उत्पादित माल का 100 प्रतिशत बिक्रय मे0 एस0एल0एम0जी0 बेवरेजेज प्रा0 लि0 (जोकि आवेदक कम्पनी की Related Party है) को किया जाना प्रस्तावित है, कम्पनी को एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति के क्लेम्स के साथ निम्नलिखित संगत अभिलेख (जैसा कि एजेण्डा नोट में प्रस्तावित है) उपलब्ध करवाने होगें:-

   5.1 बृन्दावन द्वारा एस0एल0एम0जी0 को उत्पादित माल का विक्रय विशिष्ट जी0एस0टी0 आई0एन0 पर किया जाएगा जिससे कि एस0एल0एम0जी0 द्वारा क्रय किये गये माल का एवं एस0एल0एम0जी0 द्वारा अपने वितरकों को विक्रीत माल का ट्रैक रखा जा सके।

   5.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बृन्दावन द्वारा एस0एल0एम0जी0 को विक्री माल अपने वितरकों को केवल उत्तर प्रदेश में ही विक्रय किया गया है, बृन्दावन एवं एस0एल0एम0जी0 के मध्य लेन देन हेतु बृन्दावन द्वारा सत्यापित Reconciliation उपलब्ध कराना होगा।

   5.3 शासनादेश दिनांक 12.6.2020 के क्रम में एक पृथक शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग एस0एल0एम0जी0 द्वारा उपलब्ध कराना होगा जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बृन्दावन से क्रय किया गया माल केवल उ0प्र0 में ही विक्रय किया गया है।

   5.4 बृन्दावन द्वारा उत्पादित माल हेतु बृन्दावन एवं एस0एल0एम0जी0 द्वारा अपना-अपना विक्रय मूल्य उपलब्ध करायेंगे एवं यह दर्शाने के लिए एक समेकित रिपोर्ट प्रदान करेंगे कि समान उत्पादित माल के लिये बृन्दावन का सेल्स टर्न ओवर एस0एल0एम0जी0 के सेल्स टर्न ओवर से कम है। ऐसे सेल्स टर्न ओवर को प्रमाणित कर उपलब्ध कराया जाएगा।

   5.5 बृन्दावन द्वारा विक्रय के बाद उत्पादित माल की आवाजाही को ट्रैक करने के लिये रिकार्डस में बैच नम्बर, कंसाइनमेंट नम्बर आदि होंगे।

   5.6 पुष्टीकरण के लिये बृन्दावन द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि बृन्दावन एवं एस0एल0एम0जी0 के मध्य सभी लेन देन वास्तविक और प्रमाणिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हैं एवं सम्बन्धित व्यक्ति (related person) संव्यवहार (Transactions) आर्म्स लेंथ सिद्धान्तों के अनुपालन में किये गये हैं।

5.7 शासनादेश दिनांक 12.6.2020 के क्रम में बृन्दावन द्वारा एक पृथक शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग उपलब्ध कराया जाएगा जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके द्वारा एस0एल0एम0जी0 को विक्रीत उत्पादित माल का अन्तिम विक्रय उत्तर प्रदेश में ही हुआ है एवं ऐसे उत्पादित माल के विक्रय के सापेक्ष ही सुविधाएं क्लेम की गयी हैं।

5.8 बृन्दावन एवं एस0एल0एम0जी0 के बीच सभी संव्यवहार (transaction) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92 बी0ए0 और आयकर नियमों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बी0ए0बी0 द्वारा शासित होंगे जिससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्दिष्ट संव्यवहार (transaction) आर्म्स लेंथ (arms-length) कसौटी को पूर्ण करते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि बृन्दावन एवं एस0एल0एम0जी0 के बीच संव्यवहार (transaction) में कोई हेरफेर (manipulatons)/कृत्रिम वृद्धि (inflation) न हो। बृन्दावन को वार्षिक आधार पर एस0एल0एम0जी0 के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बी0ए0बी0 (सहपठित धारा 92ई0) के अन्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से एक रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी जो यह प्रमाणित करेगी कि बृन्दावन एवं एस0एल0एम0जी0 के बीच सभी संव्यवहार (transaction) आर्म्स लेंथ एवं वास्तविक है।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति

कमेटी द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रशासकीय विभाग की संस्तुतियों के आधार पर कम्पनी के पक्ष में तालिका-7 में क्रम संख्या 1, 3, 4 एवं 6 पर उल्लिखित सुविधाओं हेतु नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित सीमाओं के भीतर एवं शर्तों के अनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी एवं तद्नुसार अभिमत को समिति द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

(9) एजेन्डा बिन्दु संख्या 11- मेसर्स एग्रिस्टो मासा प्रा0लि0, जिला बिजनौर (पश्चिमांचल क्षेत्र)

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

शासनादेश संख्या-33/77-6-2022-6(एम)/2018 टी.सी.-4 दिनांक 7.1.2022 के अनुपालन में नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स एग्रिस्टो मासा प्रा0लि0 को जिला बिजनौर (पश्चिमांचल क्षेत्र) में फूड प्रोसेसिंग काम्पलेक्स हेतु रू0 428.56 करोड़ पूंजी निवेश (अर्ह पूँजी निवेश रू0 319.57 करोड़) के माध्यम से एक नयी परियोजना 3 चरणों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्थापित किये जाने हेतु लेटर आफ कम्फर्ट दिनांक 7.1.2022 निर्गत किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी थी।

कोरोना के कारण कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना की स्थापना में देरी हुई और बाजार परिदृश्य एवं मॉग की अपेक्षा में बदलाव के कारण कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा वर्तमान स्तर पर परियोजना को अन्तिम रूप देने एवं वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार कम्पनी द्वारा परियोजना को अन्तिम रूप से बन्द कर वर्तमान स्तर पर परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन 1.6.2022 से प्रारम्भ कर लिया गया है।

उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि (दिनांक 31.5.2022) तक रू0 151.87 करोड़ का निवेश किया गया है।

उपलब्ध कराये गये निवेश के विवरण के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि उक्त निवेश में इण्टीरियर वर्क, स्टाफ एकोमोडेशन आदि में रू0 5.57 करोड़ से अधिक का निवेश सम्मिलित है जो कि नियमावली-2017 के अनुसार अर्ह पूॅजी निवेश नहीं है। इस निवेश को कम्पनी द्वारा परियोजना में किये गये कुल पूॅजी निवेश रू0 151.87 करोड़ से घटाने पर, कम्पनी की परियोजना पश्चिमांचल क्षेत्र (एजेण्डा नोट में त्रुटिवश गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र अंकित हो गया है) में मेगा श्रेणी के लिए निर्धारित पूॅजी निवेश सीमा (रू0 150 करोड़ या अधिक) की आवश्यकता को पूर्ण नहीं करती है। कम्पनी की परियोजना पर वृहद श्रेणी के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।

1. नीति-2017 की वैधता दिनांक 12.10.2022 को समाप्त हो गयी है एवं इस नीति के अन्तर्गत कोई नया आवेदन नहीं लिया जा रहा है।
2. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर 4.7 में निम्नवत प्राविधानित हैः-

परियोजना के पैरामीटर्स में परिवर्तनः औद्योगिक उपक्रमों द्वारा परियोजना की प्रकृति अथवा परियोजना लागत में परिवर्तन/बदलाव जिससे इसकी श्रेणी मे परिवर्तन उत्पन्न हो, लेटर ऑफ कम्फर्ट की शर्तों में परिवर्तन, इत्यादि हेतु दिये गये आवेदन का नोडल संस्था द्वारा स्वयं अथवा बाह्य सक्षम संस्था के माध्यम से परीक्षण कर स्वीकृति प्राधिकारी के विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

कम्पनी द्वारा प्रेषित ई.मेल दिनांक 21.4.2023 के माध्यम से 1.6.2022 के पश्चात परियोजना में किए गये अतिरिक्त पूॅजी निवेश रू0 16.58 करोड़ को उनकी परियोजना लागत में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसे बाद में ई.मेल दिनांक 26.4.2023 के माध्यम से वापस ले लिया गया एवं यह अनुरोध किया गया कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

पूर्व में प्रस्तुत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित निवेश के आधार पर परियोजना की श्रेणी डाउनग्रेड कर आवेदन को अन्तिम रूप प्रदान किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत नोडल एजेन्सी द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि समिति कम्पनी की परियोजना को डाउनग्रेड करने हेतु कम्पनी के आवेदन पर विचार किया जाए एवं नियमावली के अन्तर्गत वृहद श्रेणी हेतु गठित स्वीकृत समिति कम्पनी की परियोजना का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की जाए।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति-

कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त पूर्व में निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त किये जाने पर समिति द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आवेदक के उक्त प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में, नोडल संस्था द्वारा कम्पनी का वृहद श्रेणी के अन्तर्गत प्रस्ताव 15 दिन में प्राप्त कर सक्षम स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(10) एजेन्डा बिन्दु संख्या 12- मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0, जिला प्रयागराज (पूर्वांचल क्षेत्र)

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

शासनादेश संख्या 26/2022/1480/77-6-2022-6099/316/2021 दिनांक 17.6.2022 के अनुपालन में नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 को जिला प्रयागराज (पूर्वांचल क्षेत्र) में सीमेन्ट उत्पादन हेतु रू0 380.23 करोड़ पूंजी निवेश के माध्यम से एक नयी परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 21.2.2023 निर्गत किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी थी।

कम्पनी द्वारा उपरोक्त आवेदन के समय यह अवगत कराया गया था कि आवेदक कम्पनी (जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0) मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 की 100 प्रतिशत अनुषंगी कम्पनी है। आवेदक कम्पनी द्वारा एन0सी0एल0टी0 में मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 के साथ समामेलन (amalgamation) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। समामेलन (amalgamation) के पश्चात आवेदक कम्पनी मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 के नाम से जानी जायेगी।

चूंकि आवेदक कम्पनी मे0 मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 का मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 के साथ समामेलन (amalgamation) प्रस्तावित था अतः शासनादेश दिनांक 17.6.2022 के अनुपालन में निर्गत लैटर ऑफ कम्फर्ट में निम्नलिखित शर्तों का का भी समावेश किया गया था:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. हस्तांतरणकर्ता मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 एवं हस्तांतरी मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 की समस्त इकाईयों को, जिनको विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत लैटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं, स्वतंत्र बुक्स ऑफ एकाउन्ट्स रखने होंगे।
2. हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरी को इकाईयों से सम्बन्धित इनपुट टैक्स क्रेडिट को सम्बन्धित इकाईयों में रिटेन करके रखना होगा।
3. हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरी इकाईयों में उत्पादन में वृद्धि इन इकाईयों में निर्गत किये गये एल0ओ0सी0 के आधार पर किये गये पूंजी निवेश पर आधारित होगी न कि हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरी इकाईयों में समामेलन के कारण होगी।
4. हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरी कम्पनियों को दी जाने वाली सुविधायें नियमावली 2017 एवं समय-समय पर जारी एस0ओ0पी0 के शासनादेशों एवं प्रदेश सरकार की अन्य नीतियों के प्राविधानों के अनुसार होंगी।
5. अन्य विस्तृत शर्तें औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से अनुमोदन के पश्चात एल0ओ0सी0 में सम्मिलित की जायेंगी।

तदनुसार उपरोक्त शर्तों एवं अन्य आवश्यक शर्तों के साथ निम्न शर्त को सम्मिलित करते हुए मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 को जिला प्रयागराज (पूर्वांचल क्षेत्र) में सीमेन्ट उत्पादन हेतु परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 21.2.2023 निर्गत किया गया थाः-

That the Transferee Company shall file an affidavit before NCLT bringing on record all the conditions mentioned herein while approaching for approval of proposed Amalgamation Scheme under intimation to Nodal Agency/GoUP.

शासनादेश संख्या 1283/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 3.6.2021 के अनुपालन में नीति-2020 के अन्तर्गत मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 को जिला हमीरपुर (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) में सीमेन्ट उत्पादन हेतु रू0 381.22 करोड़ पूंजी निवेश के माध्यम से एक नयी परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 21.2.2023 निर्गत किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी थी।

कम्पनी द्वारा पत्र दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया कि मा0 एन0सी0एल0टी0 ने आदेश दिनांक 02.03.2023 द्वारा मे0 जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 एवं मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 के समामेलन (Amalgamation) की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। समामेलन (Amalgamation) के पश्चात मे0 जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 का पूरा उपक्रम मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 के स्वामित्व के अन्तर्गत होगा तदनुसार कम्पनी द्वारा निम्नवत अनुरोध किया गयाः-

1. समामेलन (Amalgamation) आदेश दिनांक 02.03.2023 को रिकॉर्ड पर लिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. मे0 जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 की प्रयागराज स्थित इकाई के पक्ष में अनुमोदित सभी प्रोत्साहन/लाभ मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 के पक्ष में जारी रखे जायें।

मे0 जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 को निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 21.02.2023 में लगायी गयी शर्त के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि चूंकि लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त होने से पहले ही दिनांक 10.02.2023 को मा0 एन0सी0एल0टी0 द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी थी, अतः मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट में लगायी गयी शर्त के अनुसार शपथ-पत्र मा0 एन0सी0एल0टी0 के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सका। तद्नुसार यह अनुरोध किया गया कि कम्पनी को पिकप/शासन के समक्ष आवश्यक शपथ-पत्र यह इंगित करते हुए प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाये कि मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 21.02.2023 मे उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

मे0 जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 एवं मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 के समामेलन (amalgamation) के पश्चात मे0 जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) को नीति-2017 एवं नीति-2020 के अन्तर्गत अनुमोदित सभी प्रोत्साहन/लाभ मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) को उपलब्ध होंगे।

चूँकि लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त होने से पहले ही दिनांक 10.02.2023 को मा0 एन0सी0एल0टी0 द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी थी, अतः मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) को शासन के समक्ष आवश्यक शपथ-पत्र यह इंगित करते हुए प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाये कि मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 21.02.2023 एवं लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 03.06.2021 मे उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति-

कमेटी द्वारा कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि मे0 जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 एवं मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 के समामेलन (amalgamation) के पश्चात मे0 जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) को नीति-2017 एवं नीति-2020 के अन्तर्गत अनुमोदित सभी प्रोत्साहन/लाभ मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) को उपलब्ध होंगे। साथ ही मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) द्वारा शासन के समक्ष आवश्यक शपथ-पत्र यह इंगित करते हुए प्रस्तुत किया जायेगा कि मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 21.02.2023 एवं लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 03.06.2021 मे उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

तद्नुसार अभिमत को समिति द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) एजेन्डा बिन्दु संख्या 14- मेसर्स कनोडिया ग्रुप आफ कम्पनीज
नोडल संस्था का प्रस्ताव-

मेसर्स कनोडिया ग्रुप आफ कम्पनीज के पक्ष निम्नवत लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं:-

1. शासनादेश संख्या 2682/77-6-18-6(एम)/2018 दिनांक 31.8.2018 के अनुपालन में नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स कनोडिया बिजनेस प्रा0 लि0 को जिला फर्रूखाबाद (मध्यांचल क्षेत्र) में सीमेन्ट उत्पादन हेतु रू0 364.69 करोड़ पूजी निवेश के माध्यम से एक परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 14.11.2018 निर्गत किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी थी।
2. शासनादेश संख्या 2682/77-6-18-6(एम)/2018 दिनांक 31.8.2018 के अनुपालन में नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स कनोडिया निर्माण सीमेंट प्रा0 लि0 को जिला फर्रूखाबाद (मध्यांचल क्षेत्र) में सीमेन्ट उत्पादन हेतु रू0 364.69 करोड़ पूँजी निवेश के माध्यम से एक परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 14.11.2018 निर्गत किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी थी।
3. शासनादेश संख्या 2682/77-6-18-6(एम)/2018 दिनांक 31.8.2018 के अनुपालन में नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स कनोडिया सीमेंट इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 को जिला प्रतापगढ़ (पूर्वांचल क्षेत्र) में सीमेन्ट उत्पादन हेतु रू0 364.69 करोड़ पूंजी निवेश के माध्यम से एक परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 14.11.2018 निर्गत किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी थी।
4. शासनादेश संख्या 2682/77-6-18-6(एम)/2018 दिनांक 31.8.2018 के अनुपालन में नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स कनोडिया मैन्यूफैक्चरिंग प्रा0 लि0 को जिला प्रतापगढ़ (पूर्वांचल क्षेत्र) में सीमेन्ट उत्पादन हेतु रू0 364.69 करोड़ पूँजी निवेश के माध्यम से एक परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 14.11.2018 निर्गत किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी थी।

मेसर्स कनोडिया बिजनेस प्रा0 लि0, मेसर्स कनोडिया निर्माण सीमेंट प्रा0 लि0, मेसर्स कनोडिया सीमेंट इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 एवं मेसर्स कनोडिया मैन्यूफैक्चरिंग प्रा0 लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी नीति में बदलाव एवं आयकर विभाग द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नई कर व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप अपना आवेदन/लेटर आफ कम्फर्ट वापस ले रहे हैं।

मेसर्स कनोडिया ग्रुप आफ कम्पनीज द्वारा एक नयी कम्पनी मे0 कनोडिया सेम प्रा0 लि0 निगमित (Incorporated) की गयी है जिसके पक्ष में निम्नवत लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं:-

1. नीति-2020 के अन्तर्गत जिला अमेठी (पूर्वांचल क्षेत्र) में सीमेन्ट उत्पादन हेतु रू0 205.55 करोड़ पूंजी निवेश के माध्यम से एक परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 18.8.2021 निर्गत किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी हैं।
2. नीति-2017 के अन्तर्गत जिला अमेठी (पूर्वांचल क्षेत्र) एवं जिला अलीगढ़ (पश्चिमांचल क्षेत्र) में सीमेन्ट उत्पादन हेतु प्रत्येक जिले में रू0 259.32 करोड़ पूंजी निवेश के माध्यम से परियोजनाएं स्थापित करने हेतु दो लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 7.1.2022 निर्गत किये गये है जिनके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी हैं।

नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स कनोडिया बिजनेस प्रा0 लि0, मेसर्स कनोडिया निर्माण सीमेंट प्रा0 लि0, मेसर्स कनोडिया सीमेंट इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 एवं मेसर्स कनोडिया मैन्यूफैक्चरिंग प्रा0 लि0 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट निरस्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति-

कमेटी द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त मेसर्स कनोडिया बिजनेस प्रा0 लि0, मेसर्स कनोडिया निर्माण सीमेंट प्रा0 लि0, मेसर्स कनोडिया सीमेंट इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 एवं मेसर्स कनोडिया मैन्यूफैक्चरिंग प्रा0 लि0 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट निरस्त करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया गया।

(12) एजेन्डा बिन्दु संख्या 15- मेसर्स गैलेन्ट मैटेलिक्स लि0

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

शासनादेश संख्या 3958/77-6-20-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 (संशोधित शासनादेश संख्या 1284/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.3.2021 एवं शासनादेश संख्या 979/77-6-2022-6099/428/2021 दिनांक 15.5.2022) के अनुपालन में नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स गैलेन्ट मैटेलिक्स लि0 को जिला चन्दौली (पूर्वांचल क्षेत्र) में इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट हेतु रू0 1319.00 करोड़ पूंजी निवेश के माध्यम से दो चरणों में एक परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 14.1.2021

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(संशोधित दिनांक 31.5.2021 एवं 24.6.2022) निर्गत किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी थी।

मेसर्स मेसर्स गैलेन्ट मैटेलिक्स लि0 द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.1.2023 के माध्यम से उपरोक्त लेटर आफ कम्फर्ट वापस लिया जा रहा है।

नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स गैलेन्ट मैटेलिक्स लि0 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट निरस्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति-

कमेटी द्वारा मेसर्स गैलेन्ट मैटेलिक्स लि0 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट निरस्त करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया गया।

(13) एजेन्डा बिन्दु संख्या 16 - मेसर्स जे0के0 पेन्टस एवं कोटिंग लि0, मथुरा नोडल संस्था का प्रस्ताव-

शासनादेश संख्या 01/2023/3244/77-6-2022-6099/315/2021 दिनांक 30.12.2022 द्वारा मेसर्स जे0के0 पेन्टस एवं कोटिंग लि0 को जिला मथुरा (पश्चिमांचल क्षेत्र) में नीति-2017 के अन्तर्गत पेन्ट उत्पादन हेतु रू0 571.00 करोड़ पूंजी निवेश के माध्यम से दो चरणों में एक परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी थी।

लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने से पूर्व कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उनके पेंट व्यवसाय की योजना संशोधित हो गई है एवं तद्नुसार उनके द्वारा एक पेंट कम्पनी एवं उसकी भिवाड़ी (राजस्थान) में स्थित पेंट इकाई अधिग्रहण कर ली गयी है। कम्पनी अब मथुरा में पेंट इकाई की स्थापना नहीं करना चाहती है। तद्नुसार उनके द्वारा नीति-2017 के अन्तर्गत मथुरा में पेंट इकाई की स्थापना हेतु लेटर आफ कम्फर्ट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव वापस लिया जा रहा है।

नीति-2017 के अन्तर्गत जे0के0 पेन्टस एवं कोटिंग लि0 को शासनादेश दिनांक 30.12.2022 द्वारा अनुमोदित लेटर आफ कम्फर्ट निरस्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति-

कमेटी द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त मेसर्स जे0के0 पेन्टस एवं कोटिंग लि0 को अनुमोदित लेटर आफ कम्फर्ट निरस्त करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) एजेन्डा बिन्दु संख्या 17- मेसर्स श्री सीमेंट नार्थ प्रा0 लि0, एटा

नोडल संस्था का प्रस्ताव-

शासनादेश संख्या 33/77-6-2022-6 (एम)/2018टी.सी.-4 दिनांक 7.1.2022 के अनुपालन में मेसर्स श्री सीमेंट नार्थ प्रा0 लि0 को जिला एटा (पश्चिमांचल क्षेत्र) में नीति-2017 के अन्तर्गत सीमेंट उत्पादन हेतु रू0 650.48 करोड़ पूंजी निवेश के माध्यम से एक परियोजना स्थापित करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गयी थी।

प्रशासकीय विभाग द्वारा कम्पनी के पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करवायी गयी थी जिसके माध्यम से कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त लेटर आफ कम्फर्ट सरेंडर किया जा रहा है। लेटर आफ कम्फर्ट सरेंडर करने का कोई कारण पत्र में अंकित नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा उक्त परियोजना पुनरीक्षित कर नीति-2022 के अन्तर्गत सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया है।

नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स श्री सीमेंट नार्थ प्रा0 लि0 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट निरस्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति-

कमटी द्वारा मेसर्स श्री सीमेंट नार्थ प्रा0 लि0 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट निरस्त करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया गया।

4- उपर्युकतानुसार वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2017 एवं तदनुक्रम में निर्गत एस0ओ0पी0 तथा शासनादेश संख्या-3231/77-6-2023-6099/185/2022 पार्ट-1 दिनांक 06.10.2023 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त में उल्लिखित प्राविधानों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा श्री राज्यपाल प्रस्तर-3 क्रमांक-1 से 8 पर अंकित इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने एवं क्रमांक-9, 11, 12, 13 एवं 14 पर अंकित इकाईयों को पूर्व में निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्तर किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रमांक-10 पर अंकित इकाई के संबंध में मे0 जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 एवं मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 के समामेलन (amalgamation) के पश्चात मे0 जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) को नीति-2017 एवं नीति-2020 के अन्तर्गत अनुमोदित सभी प्रोत्साहन/लाभ मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) को उपलब्ध होंगे। चूँकि लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त होने से पहले ही दिनांक 10.02.2023 को मा0 एन0सी0एल0टी0 द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी थी, अतः मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) को शासन के समक्ष आवश्यक शपथ-पत्र यह इंगित करते हुए प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाये कि मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 (ट्रांसफरी कम्पनी) द्वारा लेटर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ऑफ कम्फर्ट दिनांक 21.02.2023 एवं लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 03.06.2021 मे उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2024/140/77-6-24-5(एम)/13टीसी(VolI-II) तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्‌वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शसन।
3. अवस्थापना एवं औद्‌योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, आबकारी, श्रम, चीनी उद्‌योग एवं गन्ना विकास, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/ यूपीडा/ नोएडा/ग्रेटर नोएडा/ यीडा/गीडा/ बीडा/सीडा।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार मौर्य

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।